प्ररूप–घ

न्यायालय – विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) ग्वालियर (म.प्र.)
(समक्ष – नवनीत कुमार वालिया)

विशेष प्र.क्र. SC NDPS 02/2025
फाईलिंग नं. SCNDPS/122/2025
सीएनआर नं. एम.पी.0701–000122–2025
संस्थित दिनांक– 30.12.2024

[निर्णय तिथि – 04.06.2026]

[विशेष प्रकरण क्रमांक SC NDPS 02/2025]

(प्र.सू.रि./अपराध क्रमांक और पुलिस थाने का विवरण –पुलिस थाना पनिहार, जिला ग्वालियर (म.प्र.), अपराध क्रमांक 140/2024 अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985)

परिवादी	पुलिस थाना पनिहार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. रामू तोमर पुत्र कुबेर सिंह तोमर, आयु–27 वर्ष, निवासी खड़िया बेहड़, थाना सिहोनिया, जिला मुरैना (म.प्र.) 2. गोपाल शर्मा पुत्र बृजेश शर्मा, आयु–21 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर–15, भटेले वाली गली, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) 3. सद्दाम अंसारी पुत्र सत्तार उर्फ जहीर, आयु 28 वर्ष, निवासी खटीक टूला, ग्राम बांह, थाना बांह, जिला आगरा (उ.प्र.) 4. शिवम गहिरवार पुत्र मुकेश गहिरवार, आयु 29 वर्ष, निवासी गजौरा, बसई अरेला, आगरा (उ.प्र.) 5. रवि यादव पुत्र कायम सिंह यादव, आयु 27 वर्ष, निवासी पछाय राटोटी, पिढौरा, आगरा (उ.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्त रामू तोमर व सद्दाम अंसारी की ओर से श्री प्रवीण मित्तल डिफेन्स काउंसिल। अभियुक्त गोपाल की ओर से श्री डी.एस.कटियार अधिवक्ता। अभियुक्त शिवम की ओर से श्री आशीष प्रताप सिंह एवं श्री एन.पी.सिंह अधिवक्ता। अभियुक्त रवि यादव की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता।

प्ररूप–ङ

अपराध की तारीख	12.08.2024
प्र.सू.रि. की तारीख	12.08.2024
आरोप–पत्र की तारीख	30.12.2024

4.6.26

Scanned with OKEN Scanner

2.	आर्टीकल ए–2 लगायत आर्टीकल जेड–2 एवं आर्टीकल एए–2 लगायत आर्टीकल जीजी–2/अ.सा.7	–''–
3.	आर्टीकल जेडए–1 लगायत जेडए–100/अ.सा.7	धारा 52ए की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

1. अभियुक्तगण रामू तोमर, गोपाल शर्मा, सद्दाम अंसारी, शिवम गहिरवार एवं रवि यादव पर स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे मात्र ''अधिनियम, 1985'' से संबोधित किया जायेगा) की धारा 8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C) के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.08.2024 को समय 17:00 बजे से 23:00 बजे स्थान ए.बी.रोड, पनिहार, पुलिस थाना पनिहार क्षेत्रान्तर्गत जिला ग्वालियर (म.प्र.) में संयुक्त रूप से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा मात्रा 149.57 किलोग्राम (जो कि वाणिज्यिक मात्रा है) को अपने आधिपत्य में रखा।

2. अभियोजन की कहानी सारतः इस प्रकार से है कि दिनांक 12.08.2024 को थाना पनिहार ग्वालियर में पदस्थ निरीक्षक धवल सिंह चौहान को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक कमांक एम.पी.07/एच.बी.–9650 का चालक गोपाल शर्मा अपने साथी रामू तोमर एवं सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा ट्रक में लोड कर विक्रय हेतु ग्वालियर से शिवपुरी तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा में दर्ज करके सूचना के संबंध में मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना का प्रतिवेदन तैयार कर आरक्षक रिंकू यादव को डी.एस.पी. कार्यालय रवाना किया गया तथा उक्त सूचना के संबंध में तुरन्त कार्यवाही न करने से अभियुक्तगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा को खुर्दबुर्द करने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षक धवल सिंह चौहान द्वारा मय फोर्स एवं विवेचना किट के साथ रवाना होकर थाने के सामने चेकिंग लगवायी गयी और आरक्षक राधामोहन गुर्जर को पंचान को तलब करने हेतु रवाना किया गया। स्वतंत्र साक्षी मठोला उर्फ मुस्लिम एवं आविद तथा धर्मेन्द्र कौरव इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा लेकर उपस्थित हुए, उन्हें मुखबिर सूचना से अवगत

4.6.26

Scanned with OKEN Scanner

कराया गया। करीब 17:00 बजे अपराध शाखा के उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा सूचना दी गयी कि ट्रक क्रमांक एम.पी.07/एच.बी.–9650 सिकरौदा चौराहे से पनिहार की तरफ निकला है, उसमें तीन लड़के बैठे हैं। उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा यह भी सूचना दी गयी कि वह हमराह फोर्स के साथ काले रंग की बिना नम्बर की कार, जो कि झांसी तरफ से आ रही है व उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा भरे होने की सूचना है, के पीछे लगा है, तब तक ट्रक की चेकिंग करें। तत्पश्चात् चेकिंग शुरू की गयी। कुछ देर बाद शहर की तरफ से ट्रक क्रमांक एम.पी.07/एच.बी.–9650 आता दिखा, जिसे रोका गया। उक्त ट्रक को गोपाल शर्मा चला रहा था और बगल वाली सीट पर रामू तोमर एवं सद्दाम अंसारी बैठे हुए थे। उक्त संदेहीगण को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर बताया गया कि आप चाहें तो अपने ट्रक की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं, तब उक्त संदेहीगण ने ट्रक की तलाशी निरीक्षक धवल सिंह को देने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। इसके बाद संदेहीगण को पुलिस फोर्स की तलाशी दी गयी, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

3. अभियोजन की कहानी आगे इस प्रकार से है कि तत्पश्चात् ट्रक की तलाशी ली गयी, तो उसमें सफेद रंग की प्लास्टिक की पांच बोरियों में 32 पैकेट पाये गये, जिन्हें फाड़कर चेक किया गया तो उनमें हरे मटमैले रंग का पत्तियों जैसा पदार्थ भरा हुआ दिखायी दे रहा था, जिसे सूंघकर चखकर देखा तो प्रत्येक पैकेट में मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ को समरस कर इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे का सत्यापन कर धर्मेन्द्र कौरव से तौल करायी गये तो कुल 32 पैकेटों में 144.76 किलोग्राम गांजा एवं कपड़े सहित 148.07 किलोग्राम गांजा पाया गया। अभियुक्तगण रामू तोमर, गोपाल शर्मा एवं सद्दाम अंसारी से उक्त गांजे को रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछा उन्होंने लायसेंस नहीं होना बताया। उक्त अभियुक्तगण का कृत्य धारा 08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उक्त 32 पैकेटों पर सीलबंद कर मार्क–1 लगायत 32 तक लगाये गये। उक्त अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने साथी रवि यादव एवं शिवम गहिरवार के साथ मिलकर रायपुर, छत्तीसगढ़ के पास से

4-6-26

Scanned with OKEN Scanner

गांजा लाना बताया और बतौर सेम्पल एक गांजे का पैकेट हुण्डई बरना कार कमांक यू.पी. 80/जी.वाय.–2089 में रवि यादव एवं शिवम गहिरवार को देना बताया।

4. अभियोजन की कहानी आगे इस प्रकार से है कि इसी दौरान अपराध शाखा के उपनिरीक्षक शैलेन्द्र गुर्जर द्वारा करीब 21:30 बजे सूचना दी गयी कि काले रंग की हुण्डई बरना कार, जिसमें मादक पदार्थ गांजा भरा है, का पीछे कर रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक में पुनः फोर्स के साथ थाने के सामने चेकिंग में पहुॅचे, तो एक बिना नम्बर की काले रंग की कार आते हुए दिखी, जिसे स्टापर लगाकर रोका गया और कार में बैठे व्यक्तियों से नाम–पता पूछा तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम पुत्र मुकेश गहिरवार बताया तथा बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रवि यादव पुत्र कायम सिंह बताया। उक्त संदेहीगण को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर सूचना दी गयी कि आपकी कार में मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना है, आप चाहें तो अपने कार की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते हैं, तब उक्त संदेहीगण ने कार की तलाशी देने हेतु सहमति प्रदान् की। उक्त संदेहीगण शिवम एवं रवि को स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष पुलिस फोर्स की तलाशी दी गयी, तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। उसके पश्चात् कार को साइड में लगाकर चेक किया गया, तो कार की तलाशी ली गयी तो एक पैकेट कार की डिग्गी में पाया गया। उक्त पैकेट को फाड़कर चेक किया गया, तो हरे मटमैले रंग का पत्तियों जैसा पदार्थ भरा हुआ दिखायी दिया। उक्त पदार्थ को सूंघकर, चखकर देखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ को समरस कर इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे का सत्यापन कर धर्मेन्द्र कौरव से तौल करायी गये तो पैकेट में 4.810 किलोग्राम गांजा एवं कपड़े सहित 4.890 किलोग्राम गांजा पाया गया और कार के अन्दर दो नम्बर प्लेट यू.पी.80/जी.वाय.–2089 की तथा पांच अलग–अलग कम्पनियों के मोबाइल पाये गये। अभियुक्तगण शिवम एवं रवि यादव से उक्त गांजे को रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछा उन्होंने लायसेंस नहीं होना बताया तथा यह भी बताया कि रायपुर छत्तीगढ़ के पास से ट्रक कमांक एम.पी.07/एच.बी.–9650 में जो गांजा लेकर चले थे, उस गांजा का बतौर सेम्पल उन्होंने अपने कार में छिपाकर रखा था। उक्त

4-6-26

Scanned with OKEN Scanner

में यह भी व्यक्त कर रहा है कि बरना कार से जिन मोबाइलों को जप्त किया था, उनके स्वामित्व के विषय में उसने कोई जांच नहीं की थी। यह भी स्वीकार कर रहा है कि उसने जो कार्यवाही बतायी है, उस कार्यवाही करने तक ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं आयी कि आरोपी रवि की प्रकरण के अन्य आरोपीगण से कोई वार्तालाप हुई हो। इस संबंध में प्रकरण के विवेचक अ.सा.7 सुरेन्द्रनाथ सिंह एवं अ.सा.8 जीवनलाल माहौर के साक्ष्य का अवलोकन करने से भी यह दर्शित है कि उक्त विवेचकों द्वारा प्रकरण में जप्त मोबाइल फोनों को जांच के लिये भेजने और इस संबंध में कोई विवेचना करना दर्शित नहीं है। ऐसी दशा में जहां उक्त अभियुक्तगण पर प्रकरण के मुख्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर गांजे की अवैध रूप से बिक्री करने का आरोप हो और प्रकरण में जप्त मोबाइल फोन के विषय में न तो उन्हें जांच के लिये भेजा जाना और न ही इस संबंध में कोई विवेचना किया जाना दर्शित हो, तो यह अभियोजन के विषय में एक गंभीर उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शित करता है। इस संबंध में अभिलेख पर उक्त अभियुक्तगण शिवम एवं रवि यादव के विषय में जो भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसका समग्र रूप से विश्लेषण कर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उससे उनके कब्जे की बरना कार से 04 किलो 810 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्रकरण के मुख्य अभियुक्तगण गोपाल शर्मा, रामू तोमर के साथ गांजे की अवैध रूप से बिक्री करने के संबंध में उनसे मिलकर कुल 149.57 किलोग्राम गांजे के अवैध व्यापार में कोई भाग लिया गया हो। ऐसी दशा में उक्त अभियुक्तगण के विषय में अभियोजन द्वारा बरामदगी एवं जप्ती के विषय में गंभीर संदेह विद्यमान है, उसका लाभ उक्त अभियुक्तगण को प्रदत्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक–2 का निष्कर्ष</u> :–

37. परिणामतः विचारणीय प्रश्न कमांक–1 में आये निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण सद्दाम अंसारी, शिवम एवं रवि यादव को एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C) के अन्तर्गत अधिरोपित अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अभियुक्तगण रामू तोमर एवं गोपाल शर्मा को एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की

Gwalior 4-6-26

Scanned with OKEN Scanner

धारा 8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C) के अन्तर्गत अपराध में **दोषसिद्ध** ठहराया गया है।

38. अभियुक्तगण रामू तोमर एवं गोपाल शर्मा को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C) के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है, इसलिये दण्ड/सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये शेष निर्णय लेखन की कार्यवाही कुछ समय के लिये स्थगित की जाती है।

4.6.26

(नवनीत कुमार वाल्मिया)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
ग्वालियर (मध्य–प्रदेश)

39. अभियुक्तगण रामू तोमर एवं गोपाल शर्मा तथा अपर लोक अभियोजक को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि उनके विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्वि प्रमाणित नहीं है और उन्होंने दण्ड के प्रश्न पर उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन किया है। विशेष लोक अभियोजक की ओर यह तर्क किया गया है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध निश्चित रूप से समग्र समाज को प्रभावित करता है और इसलिये अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिया जाना चाहिये।

40. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 8 एवं धारा 20 के अन्तर्गत अधिरोपित अपराध के मामले में जप्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को एवं सिद्धदोष के पूर्विक आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धदोष को दण्ड दिया जाना चाहिये। एन.डी.पी.एस. एक्ट में यदि जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा की मात्रा 20 किलोग्राम हो तो वह वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। उपरोक्तानुसार सिद्धदोषगण रामू तोमर एवं गोपाल शर्मा से 149.57 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया है। उक्त सिद्धदोषगण की पूर्व दोषसिद्धी के विषय में अभियोजन द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे किसी पूर्व मामले में दोषसिद्धी का समाधान न्यायालय को हो। अतः उक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण में जप्त मादक

4.6.26

Scanned with OKEN Scanner

पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धदोषगण को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C) के अपराध के लिए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:–

अभियुक्त का नाम	दोषसिद्ध धारा	कारावास का दण्डादेश	अर्थदण्ड	व्यतिकम की दशा में कारावास
रामू तोमर	8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C)	10 वर्ष का सश्रम कारावास	1,00,000/–(एक लाख) रूपये	एक वर्ष
गोपाल शर्मा गुदैनिया	8 सहपठित धारा 20(B)(ii)(C)	10 वर्ष का सश्रम कारावास	1,00,000/–(एक लाख) रूपये	एक वर्ष

41. उक्त सिद्धदोषगण द्वारा निरोध में व्यतीत कारावास की अवधि मूल कारावास की सजा में समायोजित की जावे। इस संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रमाणपत्र पृथक से बनाये जावें।

42. उक्त सिद्धदोषगण के सजा वारण्ट तैयार कर कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, ग्वालियर भेजा जाये।

43. प्रकरण के अन्य अभियुक्त भीकाराम के संबंध में पृथक से **विचारण जारी** है, इसलिये प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल के निराकरण के संबंध में आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

44. चूंकि अन्य अभियुक्त भीकाराम के संबंध में पृथक से विचारण जारी है, इसलिये अभिलेख के टाइटल पेज पर **प्रकरण सुरक्षित रखे जाने** की टीप अंकित की जाये।

45. निर्णय की एक प्रति सिद्धदोषगण को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

46. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी धवल सिंह द्वारा बरामदगी एवं जप्ती की कार्यवाही से संबंधित पंचनामें तैयार करने में गंभीर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से जप्त मोबाइल फोन के संबंध में कोई भी परीक्षण न कराने से अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ है, जिससे तीन अभियुक्तगण

Gwalior 4-6-26

Scanned with OKEN Scanner

के संबंध में प्रकरण का परिणाम दोषमुक्ति हुआ है। इसलिये निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक भोपाल को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित की जाये कि इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों के संबंध में विभागीय जांच संस्थित कर विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ग्वालियर, दिनांक 04.06.2026

निर्णय पारित करते हुए निर्णय घोषित किया गया।

4.6.26

(नवनीत कुमार वालिया)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
ग्वालियर, म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner